


कार्यालय आदेश (332 / 2021)

प्रायः यह देखा जा रहा है कि सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत विभिन्न विभागों/अनुभागों द्वारा सूचना अनुरोधकर्ता को प्रेषित की जा रही हैं, परन्तु कतिपय मामलों में सूचनाओं को प्रेषित करने के लिए सूचना अधिकार की धारा 6(3) के अन्तर्गत कुलसचिव/कुलपति महोदया के कार्यालयों को प्रेषित किये जा रहे हैं, जबकि सक्षम अधिकारियों के कार्यालयों में कोई भी पत्र/पत्रावलियाँ लम्बे समय तक संचित नहीं रहती हैं। सम्बन्धित पत्रावलियों/पत्रों पर आवश्यक कार्यवाही एवं अन्य आदेशों के साथ पुनः सम्बन्धित अनुभागों/विभागों को वापस प्रेषित की जाती हैं। आपसे अपेक्षा की जाती है कि ऐसे पत्र सम्बन्धितों की पत्रावलियों में लगी होनी सुनिश्चित करना सम्बन्धित विभाग का कार्य है।

अतः जिन विभागों से सम्बन्धित सूचनायें हैं, उसका उत्तर भी उसी अनुभाग/विभाग के द्वारा प्रेषित किया जाना चाहिए एवं भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।


कुलसचिव 17/11/21

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
2. समस्त निदेशक (टिहरी/पौड़ी/चौरास)/पुस्तकालयाध्यक्ष।
3. वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक।
4. नोडल अधिकारी, सूचना अधिकार प्रकोष्ठ।
5. संयुक्त कुलसचिव/समस्त उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव।
6. प्रभारी, सिस्टम मैनेजर को उक्त आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. समस्त अनुभाग अधिकारी/प्रभारी।
8. प्रति कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ प्रेषित।
9. निजी सचिव, कुलपति, माननीय कुलपति महोदया के सादर सूचनार्थ प्रेषित।
10. कार्यालय प्रति।


कुलसचिव 17/11/21